Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्डाधिकारी (राजस्व) मुकाम ....श्री विजयनगर

बजरंग लाल बनाम भरतलाल आदि

किस्म मुकदमा 53–88–92ए,209 आर टी एक्ट नम्बर...32/2018 सन्.2018

05.09.2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज़	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
05.09.18	वादी बजरंग लाल पुत्र श्री उमाशंकर जाति जाट निवासी 8 बी एल एम बी तहसील श्री विजयनगर की ओर से श्री राजीव जग्गा अधिवक्ता ने वाद पत्र प्रस्तुत किया। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। संबंधित पक्षकारों जरिये सम्मन तलब होकर दिनांक 24.09.18 को पेश हो। उपखण्डाधिकारी(राजस्व) श्रीविजयनगर	
24.9.18	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त/अवकाश/मुख्यालय से बाहर पधारे हैं। पत्रावली दिनांक 15.11.18 को पेश हो।	
15.11.18	पत्रावली पेश। वकील वादी उप० प्रतिवादी सं० 1 का नोटिस/समन अपे० वाद पर तामील होकर प्राप्त है जो पत्रावली के संलग्न है। प्रतिवादी सं० 1 उपस्थित नहीं वाद इन्तजार पत्रावली दिनांक 13/12/2018 को पेश हो।	
13/12/18	पत्रावली पेश। बार संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा है। पत्रावली दि० 21/2/19 को पेश हो।	
21.2.19	पत्रावली पेश। बार संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा है। पत्रावली दि० 04.04.19 को पेश हो	

Scanned by CamScanner

04/4/2019 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप.।
अप्रार्थीगण के नोटिस/समन बाद
तामील प्राप्त हो चुके है जो पत्रावली
के शामिल है। पत्रावली वास्ते जवाब
अप्रार्थीगण के दिनांक 25/4/19 को पेश
हो।

Priyanka

25/4/2019 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित
अप्रार्थीगण के वकालतनामा हेतु पत्रावली
दिनांक 16/5/2019 को पेश हो।

Priyanka

16/5/2019 पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष
उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी स्वयं
उपस्थित। वादी ने एक प्रार्थना पत्र
मय राजीनामा दस्तावेज के साथ
पेश कर निवेदन किया कि वादी
व प्रतिवादी का आपसी राजीनामा
हो चुका है इसलिए अपने अधिकार
सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र को
विड्रा करना चाहता है। प्रार्थना पत्र
पत्रावली के शामिल है।

पत्रावली का अवलोकन किया।
वादी के निवेदन पर आपसी राजीनामा
होने पर वाद पत्र को इसी स्टेज पर
वादी के अधिकार सुरक्षित रखते हुए
विड्रा करने की अनुमति दी जाती है।
पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की
जाती है। पत्रावली फैसलशुदा होकर
दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

Bajrang
(साक्षी [illegible])

भैरूलाल
([illegible])

Priyanka
उप जिला कलेक्टर
श्रीविजयनगर

वाद पत्र

न्यायालय उप जिला कलैक्टर
श्री विजयनगर।

1. बजरंग लाल पुत्र श्री उमाशंकर जाति जाट उम्र 25 वर्ष निवासी 8 बी.एल.एम.(बी) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

मो.नं. 8796656999 -वादी-

बनाम

1. भरतलाल पुत्र श्री बेगराज जाति जाट निवासी 8 बी.एल.एम.(बी) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)।

2. तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.), श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।

-प्रतिवादीगण-

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 92(ए), 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्रीमानजी,

वादी निम्न निवेदन करता है कि :-

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का स्थाई व पंजीकृत पता वही है जो वाद-पत्र के शीर्षक में दर्ज है। जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के तहत वाद-पत्र दो प्रतियों में मय शपथ पत्र प्रस्तुत है।

2. यह कि मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की दादी श्रीमति किस्तूरी देवी पत्नी श्री धोकल राम जाति जाट के नाम से तहसील श्री विजयनगर के चक 8 बी.एल.एम. (बी) का खाता संख्या 13 नया, पुराना 10 मु.नं. 6 प.नं. 203/402 का किला नं. 11/2, 12/3, 13/1, 14/3, 15/1, 16 ता 25 में कुल 3.163 है. कमाण्ड खातेदारी स्वयं अर्जित सम्पति थी। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

3. यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की दादी श्रीमति किस्तूरी देवी ने अपने जीवन काल में अपनी उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में एक दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 04/09/2017 को मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक तहरीर करते हुए अपनी उक्त समस्त सम्पति के 2/3 हिस्सा की वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में एवं शेष 1/3 हिस्सा की वसीयत मुझ वादी के पक्ष में अपनी स्वतन्त्र इच्छा से तहरीर करवाकर उप-पंजीयक कार्यालय श्री विजयनगर में पंजीबद्ध करवाई थी। प्रमाणित प्रति दस्तावेज वसीयतनामा संलग्न वाद पत्र है।

लगातार..........2

Bajrang

Scanned by CamScanner